

**लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विद्यमान राशन कार्ड में रूपांतरणों  
अथवा विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण (Surrender)/ रद्द करने के लिए  
आवेदन पत्र का प्रपत्र 'ख'**

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (धारा-9) तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण)  
आदेश 2015 (कांडिका 3 का उपकांडिका 13, 14 तथा कांडिका 4 उपकांडिका 7, 8, 9) द्रष्टव्य)

1. आवेदक का नाम
2. आधार / EID no
3. मोबाईल नं०—
4. आवेदक के पति / पिता का नाम
5. पूर्ण आवासीय पता

पारिवारिक फोटो

6. विद्यमान राशन कार्ड की सं०—
7. सम्बद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति सं०—
8. विद्यमान राशन कार्ड में रूपांतरण का कारण—  
(क) निवास में परिवर्तन -  
(ख) जन्म या मृत्यु -  
(ग) कार्ड में वर्णित ब्योरो में अशुद्धियाँ -  
(घ) अन्य कारण -

9. विद्यमान राशन कार्ड में रूपांतरण हेतु विवरणी -

| क्र० | नाम | पति/पिता का नाम | लिंग | उम्र | वैवाहिक स्थिति | संबंध |
|------|-----|-----------------|------|------|----------------|-------|
| 1    | 2   | 3               | 4    | 5    | 6              | 7     |
|      |     |                 |      |      |                |       |
|      |     |                 |      |      |                |       |
|      |     |                 |      |      |                |       |
|      |     |                 |      |      |                |       |
|      |     |                 |      |      |                |       |

| आधार / EID no | मोबाईल नं० | व्यवसाय / सरकारी सेवक | आमदनी का स्रोत | मासिक आय |
|---------------|------------|-----------------------|----------------|----------|
| 8             | 9          | 10                    | 11             | 12       |
|               |            |                       |                |          |
|               |            |                       |                |          |
|               |            |                       |                |          |
|               |            |                       |                |          |
|               |            |                       |                |          |

**10. विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण / रद्द करने का कारण -**

(क) ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हाँ / नहीं, पर टिक लगावे :-

- (i) मोटर चालित तिपहिया / चार पहिया वाहन है, हाँ ☐ नहीं ☐
- (ii) मशीन चालित तीन / चार पहियों वाले कृषि उपकरण है, हाँ ☐ नहीं ☐
- (iii) सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है, हाँ ☐ नहीं ☐
- (iv) परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000/- ₹ से अधिक है, हाँ ☐ नहीं ☐
- (v) आयकर देते हैं, हाँ ☐ नहीं ☐
- (vi) व्यावसायिक कर का भुगतान करते हैं, हाँ ☐ नहीं ☐

- (vii) जिस मकान में रहते हैं, उस मकान में सभी कमरों में चपको दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरें हों, हों ☐ नहीं ☐
- (viii) परिवार में कम से कम एक दिावाइं शचलत्त्य के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंविय भूमि है, हों ☐ नहीं ☐
- (ix) दो अथवा उससे अधिक फसलीं मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है, हों ☐ नहीं ☐
- (x) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी है, हों ☐ नहीं ☐
- (xi) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, हों ☐ नहीं ☐
- अगर है तो उसका विवरण –
- (क) किस सेवा में है –
- (ख) कहाँ पदस्थापित है –
- (ग) कितना मासिक आमदनी है –
- (ख) शहरी क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हैं / नहीं, पर चिन्ह लगायें –
- (i) आवश्यक आय करने है, हों ☐ नहीं ☐
- (ii) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 एवं वर्ग 4, श्रेणी के सरकारी सेवा (अनुज्ञाति/अनुज्ञा जनजाति के Group 'D' के कर्मी को छोड़कर) में है, हों ☐ नहीं ☐
- अगर है तो उसका विवरण –
- (क) किस सेवा में है –
- (ख) कहाँ पदस्थापित है –
- (ग) कितना मासिक आमदनी है –
- (iii) व्यावसायिक कम अन्ध कार्य है, हों ☐ नहीं ☐
- (iv) तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) मकान एकजुल मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है, हों ☐ नहीं ☐
- (v) परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000/- रुप से अधिक है, हों ☐ नहीं ☐
- (vi) दो पहिया वाहन, स्कूटर/रोटररवाखिल तथा मासिक तौन उपकरण है, हों ☐ नहीं ☐
- (vii) गृहस्थी में चार पहिया वाहन है, हों ☐ नहीं ☐
- (viii) गृहस्थी में वार्षिक मशीन है, हों ☐ नहीं ☐

उपरोक्त कडिका ..... के अनुसार विधमान सरान कार्ड में आवश्यक उपरोक्त किया जाए/कडिका ..... के अनुसार पात्र गृहस्थियों हेतु मानक मानदंड से बाहर हो जाने के कारण विधमान सरान कार्ड को पदद कर दिया जाए (राशन कार्ड संलग्न)

दिनांक  
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
नाम

महात्मा/महिला

मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ की आवेदन पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियाँ सही है। अगर आवेदक पत्र में लिखी गई कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक/कानूनी कार्यवाहे का भागी होऊँगा।

दिनांक  
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
नाम